

तृतीय एमिटी राष्ट्रीय आभासी न्यायालय प्रतियोगिता – 2019

जिला एवं सत्र न्यायालय आर्यगढ के समक्ष

मूल न्यायाधिकार

दस्तखास्त क्रमांक...../2019

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 177 & 178

राज्य (अभियोजन पक्ष)

बनाम

खदीजा, कुबेर और गुल हैदर, अखलाख–उल–रज्जाक

(प्रतिवादक / अभियुक्त)

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 की धारा 302, 109 के मामले में

मननीय जिला एवं सत्र न्यायालय आर्यगढ के समक्ष समर्पण पर

अभियोजन की ओर से लिखित समर्पण

पृष्ठ संख्या

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1. संक्षेप शब्दों की सूची.....	1
2. प्राधिकारी की सूची	2
3. तथ्य विलेख	5
4. क्षेत्राधिकार का कथन	7
5. मुद्दा.....	8
6. तर्कों का सार	9
1. प्रश्न क्रमांक एक :- कबीर का संरक्षक कौन होगा हरिशचंद्र या अखलाख उल रज्जाक ?	
2. प्रश्न क्रमांक दो :- क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है।	
3. प्रश्न क्रमांक :- क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा कि गयी दोनों हत्याएँ एक ढाल है उसके जुर्म के लिए ?	
7. लिखित तर्क	11
8. प्रार्थना.....	17